

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No.349 /58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 57/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1413 (अ). – केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की ततस्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 57/2017 – Central Tax

G.S.R. 1413 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

SI No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July-September, 2017	31 st December, 2017
2	October-December, 2017	15 th February, 2018
3	January-March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of Section 38 and sub-section (1) of Section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 58/2017 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1414(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. संख्या 1144(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 30/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 11 सितम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाता है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-अक्तूबर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2	नवम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
3	दिसम्बर, 2017	10 फरवरी, 2018
4	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018